

# हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार की राज्य अल्पसंख्यक कोचिंग योजना

अन्तर्गत हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा 66वीं संयुक्त (मुख्य)

प्रतियोगिता परीक्षा की आवासीय कोचिंग एवं मार्गदर्शन हेतु आवेदन पत्र

भरने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशः—

1. बिहार राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के इच्छुक आवेदकों से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार की राज्य अल्पसंख्यक कोचिंग योजना अन्तर्गत हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा 66वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा की आवासीय कोचिंग एवं मार्गदर्शन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र बिहार राज्य हज समिति के वेबसाईट [biharstatehajcommittee.org](http://biharstatehajcommittee.org) पर जाकर ऑनलाइन भरा जा सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने की अन्तिम तिथि 09.01.2021 के अपराह्न 05:00 बजे तक निर्धारित है।
2. सभी इच्छुक आवेदकों को आवासीय कोचिंग में नामांकन हेतु दिनांक 10.01.2021 के पूरवाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक दो घंटे का हज भवन पटना में 100 अंकों की सामान्य अध्ययन की वस्तुनिष्ठ प्रकृति की लिखित तथा वर्णात्मक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेधासूची बनाया जाएगा तथा उसी आधार पर 100 इच्छुक आवेदकों का चयन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा हज भवन, पटना स्थित बिहार राज्य हज समिति के कार्यालय में दिनांक 13.01.2021 को अपराह्न 04:00 बजे किया जाएगा और समय पर वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।
3. प्रवेश परीक्षा में सफल आवेदकों को दिनांक 14.01.2021 को हज भवन स्थित बिहार राज्य हज समिति के कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग में अपना नामांकन कराना अनिवार्य होगा। नामांकन के समय सुरक्षित राशि के रूप में 2000/- रुपये जमा करना पड़ेगा जो कोचिंग की समाप्ति के उपरांत जमाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। कोचिंग / वर्ग संचालन दिनांक 15.01.2021 से आरम्भ होगा।
4. कोचिंग के इच्छुक नामांकन कराने वाले आवेदकों को आवासन, कोचिंग कुछ महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री, पुस्तकालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा जबकि हज भवन के मेस में मिनू के अनुरूप तीनो समय के भोजन एवं चाय हेतु उन्हें 3500/- (तीन हजार पाँच सौ) रुपये प्रतिमाह अग्रिम जमा करना पड़ेगा।
5. विषयांकित आवासीय कोचिंग सामान्यतः तीन महीने का होगा जो सामान्यतः मुख्य परीक्षा तक जारी रहेगा एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 66वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एवं आवश्यक मार्गदर्शन केन्द्र बिन्दु रहेगा। कोचिंग हेतु नामांकन कराने वाले सभी आवेदकों के हज भवन परिसर में ही अपना आवासन रखना पड़ेगा तथा बिना समन्वयक/निर्देशक की पूर्वानुमति के परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं रहेगी।
6. कोचिंग में पढ़ाने एवं मार्गदर्शन देने वालों की सूची में सक्षम शिक्षकों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पूर्व में सफल प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित रहेंगे जो अपने अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायेंगे। आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण विषयों पर विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं कोचिंग

संस्थान के शिक्षकों की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग एवं मार्गदर्शन के अतिरिक्त विषयवार टेस्ट सीरीज का आयोजन भी कोचिंग कार्यक्रम का अंश रहेगा।

7. अतिरिक्त जानकारी के लिए हज भवन, पटना स्थित बिहार राज्य हज समिति के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
8. आवेदकों को नामांकन के समय निम्नांकित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्राणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है :—
  - (क) मैट्रिक / 10वीं का प्रमाण पत्र (जन्मतिथि के सत्यापन हेतु)
  - (ख) स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
  - (ग) 66वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का प्रवेश पत्र की सत्यापित प्रति।
  - (घ) आवेदक का फोटोयुक्त परिचय पत्र की छाया प्रति (आधार कार्ड / वोटर आईडी/ पासपोर्ट इत्यादि)।
  - (ड) यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से है तो पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कीमीलेयररहित/ जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
9. नामांकन के उपरान्त सभी आवेदकों को हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा हज भवन पटना में उपलब्ध कराये गये निर्धारित कमरे/ हॉल में अपना आवासन रखना तथा भोजन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में पंजीकृत आवेदकों को हज भवन में भोजन बनाने अथवा बाहर भोजन करने की अनुमति नहीं रहेगी। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को गदा, ताकिया, किसी प्रकार का बर्तन आदि लाने की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु औढ़ने हेतु कम्बल एवं मच्छरदानी इत्यादि ला सकते हैं।
10. प्रवेश परीक्षा के समय आवेदक को फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
11. अतिरिक्त जानकारी हेतु तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने में यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर दूरभाष संख्या—06122203315 एवं 9097171909 अथवा 7070810696 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

समन्वयक  
हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग एवं  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
बिहार राज्य हज समिति, पटना।